न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2019 (2019/00005) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता शंकरलाल माली,
2. किशनलाल पिता द्वारकाधीश वैष्णव,
3. नानीदेवी पत्नि रतनलाल जीनगर,
   सर्व निवासी सरंगाव तहसील सहाड़ा।
4. बनवारी आत्मज बद्रीलाल माली निवासी गंगापुर हाल निवास डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राकेशचन्द्र पिता कानमल पिछोलिया
2. दिनेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र सोनी
   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. नानुराम पिता मोहनलाल खटीक,
4. रतनलाल पिता रामप्रसाद खटीक,
5. किशनलाल पिता रामप्रसाद खटीक,
6. काली पुत्री रामप्रसाद खटीक,
7. चांदी बेवा रामप्रसाद खटीक,
8. संजयकुमार पिता सुखदेव खटीक,
9. मंजु पुत्री सुखदेव खटीक,
10. अन्जु पुत्री सुखदेव खटीक,
    सर्व निवासी मैलुनी तहसील सहाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 25/02/2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2969/1817 रकबा 0.06हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.06हे0 राजस्व खाता संख्या 92 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01, 02 एवं 04 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

लगातार...02

शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2969/1817 रकबा 0.06हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.06हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.28 16:05:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: